अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. चम्पालाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 28 चूरू

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती तीजादेवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासिनी ढाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 117 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री पवनकुमार शर्मा व श्री हनुमानप्रसाद स्वामी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री रमेश राहड़ एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 450 तादादी 13 बीघा 18 विश्वा रोही ग्राम गाजसर तहसील चूरू की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	चन्द्रप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति ब्राह्मण निवासी चूरू खातेदार	450 मी.	0.5058	बारानी
2.	तीजादेवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालसिंहपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर	450 मी.	3.0099	बारानी

जिस खातेदार का हिस्सा बैंक के रहन ... यथावत् रहन रहेगा। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:47 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह ... सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू